मुख्यमंत्री सचिवालय

झारखण्ड कैबिनेट के फैसले...

रांची,दिनांक: 08/10/2024

मुख्यमंत्री सचिवालय रांची
विज्ञप्ति संख्या - 289/2024
08 अक्टूबर 2024
झारखंड मंत्रालय, रांची
====================
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 08 अक्टूबर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
===================

★ राज्य के सरकारी भवनों /कार्यालयों, न्यायमंडलों एवं केन्द्रीय उपक्रमों/कार्यालयों में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित करने हेतु देय ऊर्जा सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि को Waive-off करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू० 76,35,73,000/- (छिहत्तर करोड़ पैंतीस लाख तिहत्तर हजार) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

★ तत्कालीन बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-517, दिनांक 09.05.2000 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ दिनांक 01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-272, दिनांक 01.04. 2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, बोकारो अन्तर्गत "चन्द्रपुरा- भण्डारीडीह - फुसरो रेलवे क्रॉसिंग नं०-4- कथारा- गोमिया पथ (कुल लम्बाई- 36.296 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvemnet of Riding Quality) कार्य" हेतु रू० 46,53,94,100/- (छियालीस करोड़ तिरपन लाख चौरानबे हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ धनबाद जिलान्तर्गत "जीटी रोड ब्राह्मणडीहा मोड़ से खरियो मोड़ (MDR- 053 पर) भाया हीरापुर, मतारी, पाकेरबेड़ा, लोदवाडीह, झगराही, मोहनपुर, तुरसाबाद पथ (कुल लम्बाई 11.586 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए दो लेन में पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रु० 74,67,28,000/- (चौहत्तर करोड़ सड़सठ लाख अठाईस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् संचालित 2551 लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों का सामान्य आँगनबाड़ी केन्द्रों में उत्क्रमण तथा तत् के प्रावधानों के अनुरूप संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए स्कूल डायरी मुद्रण एवं वितरण की स्वीकृति दी गई।

★ सिमडेगा अन्तर्गत "लचरागढ़ (NH-320G पर)- इन्दटॉन्ड- कारीमाटी-खरवागढ़हा-बारीबिरिंगा ओरगा (MDR-042 पर) पथ (कुल लंबाई-15.990 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (कनोरवा रेलवे स्टेशन के पहुँच पथ, पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 63,61,06,000/- (तिरसठ करोड़ एकसठ लाख छः हजार रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ मनोहरपुर अन्तर्गत "आनन्दपुर (NH-320G, Old SH-04 पर) से सारिवा (NH-320G Old SH-04 पर) भाया रोबोकेरा पथ (कुल लम्बाई - 22.59 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (पुल सहित) कार्य" हेतु रू0 57,89,24,400/- (सन्तावन करोड़ नवासी लाख चौबीस हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।

★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सरकारी माध्यमिक/+2 विद्यालयों में लिपिक / लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त को विनियमित करने हेतु "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2010 (यथासंशोधित)" को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 13 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक (उच्च) विद्यालयों में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई।

★ पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत "लोकेसाई मेन रोड (NH-75E पर) - टोटा-रंगराहातू (चाईबासा-टोन्टो-रोआम पथ पर) पथ (कुल लंबाई-25.105 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं Resettlement/ Rehabilitation सहित)" हेतु रू० 74,16,19,800/- (चौहत्तर करोड़ सोलह लाख उन्नीस हजार आठ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ दिनांक 02.05.2024 को अपराह्न 4.00 बजे अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद संख्या-W.P(S)-4018/2021 निशान्त अभिषेक एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में राजस्व पर्षद के पत्रांक - 257, दिनांक- 24.04.2024 द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में संशोधन / पाठ्यक्रम निर्धारण एवं विभागीय परीक्षा हेतु झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची में सी०टी० स्कैन मशीन का क्रय करने हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के अन्तर्गत

SIEMENS Healthcare Private Limited के मनोनयन संबंधी संकल्प ज्ञापांक-113 (HS) दिनांक 18.04.2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ औद्योगिकी / व्यावसायिक / सरकारी/ गैर-सरकारी संस्थानों को जल संसाधन विभाग द्वारा औद्योगिक एवं म्यूनिसिपल उपयोगों हेतु सतही जलस्त्रोतों से जलापूर्ति हेतु 'झारखण्ड सतही जलावंटन नियम - 2023 (Jharkhand Surface Water Allocation Rules-2023) एवं इस नियम के तहत झारखण्ड सतही जलावंटन एकरारनामा (Jharkhand Surface Water Allocation Agreement - Form-A, Form-B) एवं सरकारी प्रतिष्ठानों, नगर निगम, निजी एवं सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को म्यूनिसिपल उपयोग के लिए जलावंटन हेतु आवेदन प्रपत्र (Form-C) की स्वीकृति दी गई।

★ गढ़वा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत Multi Purpose Cultural Complex निर्माण योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 7,97,73,400/- (सात करोड़ संतानवे लाख तिहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ Construction of Residential Complex for Honorable MLA's in Core Capital Area at Site-1, HEC area, Ranchi कार्य हेतु राशि 303,88,29,400/- (तीन सौ तीन करोड़ अठासी लाख उनतीस हजार चार सौ रू०) मात्र के तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत्यु की स्थिति में SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों के आश्रित को अनुकम्पा के आधर पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 के प्रख्यापन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग के जिला गव्य विकास पदाधिकारियों (राजपत्रित) की विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ पंचम झारखण्ड विधान सभा का सप्तदश (मानसून) सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ BROADCAST ENGINEERING CONSULTANT INDIA LIMITED, BECIL BHAWAN C- 56/A-17, Sector 62, Noida-201307 (U.P) के चयनित एजेंसी M/s CodeRower के माध्यम से NLP Based-Voice Bot के द्वारा आम जनता से Feedback प्राप्त करने पर होने वाले व्यय कुल 54,21,931/- (चौवन लाख इक्कीस हजार नौ सौ इक्तीस) रूपये मात्र पर मनोनयन के आधार पर कराये गए कार्य हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 का शिथिलीकरण का प्रस्ताव एवं भुगतान करने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ हजारीबाग जिला में कोनार सिंचाई परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के निमित रुपये 2340.700 करोड़ (दो हजार तीन सौ चालिस करोड़ सत्तर लाख) मात्र की तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ भैरवा जलाशय योजना के लिये रु० 445,30.853 लाख (रुपये चार सौ पैंतालीस करोड़ तीस लाख पचासी हजार तीन सौ) मात्र के चतुर्थ पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 के अन्तर्गत The Jharkhand Mineral Bearing Land Cess Rule, 2024 की स्वीकृति दी गई।

★ चतरा जिलान्तर्गत "घांघरी (हंटरगंज-चतरा, NH-99 पर) से कौलेश्वरी मन्दिर (RCD पथ पर) भाया दन्तर पथ (कुल लम्बाई -10.935 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य' (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 43,56,43,700/- (तैंतालीस करोड़ छप्पन लाख तैंतालीस हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सदर अस्पताल, राँची में एम०आर०आई० एवं सी०टी० स्कैन मशीन के अधिष्ठापन के निमित्त क्रय हेतु कुल 1,32,00,00,000/- (एक अरब बत्तीस करोड़) रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ श्री केशव महतो कमलेश, पिता- स्व० सुखराम महतो, लीची बगान, डाकघर-नामकुम, लोवाडीह, रांची को झारखण्ड राज्य समन्वय समिति का सदस्य नामित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति / प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो अन्तर्गत "नावाडीह देवी महतो कॉलेज मोड़ से महुआटांड (पॅक) भाया डंगागढ़ा - सियारी-मुंगो-रंगामाटी पथ (कुल लम्बाई से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल 31.485 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग कार्य, भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू0 87,49,64,000/- (सतासी करोड़ उनचास लाख चौंसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, जामताड़ा अन्तर्गत "दुमका-मसलिया- कुण्डहित-नाला पथ के कि0मी0 20.00 से 53.355 कि0मी0 तक (कुल लम्बाई- 33.355 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य" हेतु रू0 40,04,69,400/- (चालीस करोड़ चार लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राँची जिलान्तर्गत, राँची शहर के अंचल अरगोड़ा, मौजा-हिनू थाना में कुल रकबा - 5.15 एकड़ भूमि का कुल संगणित राशि रूपया 1,28,39,894.36/- (एक करोड़ अठाईस लाख उनचालीस हजार आठ सौ चौरानवें रूपये छत्तीस पैसा) की अदायगी पर संत जेवियर्स स्कूल, डोरण्डा, राँची के नाम से दिनांक 01.02.2022 से अगले 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई।

★ वर्ष 2025 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।

★ श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा.प्र.से. (झा:2011), तत्कालीन उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर सम्प्रति उपायुक्त, राँची की माता को विशेष परिस्थिति में दिनांक 10.09.2023 को एयर एम्बुलेन्स से Hubli, Karnataka से Chennai ले जाने एवं दिनांक 14.09.2023 को Chennai से Hubli, Karnataka लाने पर हुए व्यय रू0-21,25,000 (इक्कीस लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल/जिला अस्पताल/अन्य अस्पतालों में मॉड्यूलर ओ०टी० के निर्माण हेतु 35,69,77,263/- (पैतीस करोड़ उनहत्तर लाख सतहत्तर हजार दो सौ तिरसठ) रूपये की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची में राज्य योजना निधि से नये भवनों के निर्माण एवं पुराने भवनों के जीर्णोद्धार की योजना हेतु कुल रु 7,38,80,30.231/- (सात अरब अड़तीस करोड़ अस्सी लाख तीस हजार दो सौ एकतीस रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No. 2533/2016 (शिवकांत झा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) दिनांक 15.04.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में लेखा लिपिकों को ए.सी.पी. योजना के तहत अनुमान्य वेतनमान की स्वीकृति दी गई।

★ Proposed Construction of Jharkhand Bhawan at Vashi, Navi Mumbai कार्य हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त प्राक्कलित राशि 136,95,27,200/- (एक सौ छत्तीस करोड़ पंचानवे लाख सताईस हजार दो सौ रू०) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ जमशेदपुर जिलान्तर्गत "(1) किताडीह बागबेड़ा रिंग रोड (लं0-5.77 कि०मी०) (2) किताडीह सदर अस्पताल पथ (लं0-0.570 कि०मी०) (3) घाघीडीह जेल से मतलाडीह पथ (लं0-1.41 कि०मी०) (4) केरवाडुंगरी से जमशेदपुर मुख्य पथ (लं0-1.12 कि०मी०) (5) केरवाडुंगरी से यु०सी०आई०एल० पथ (लं0-2.55 कि०मी०) (6) जाहेरथान भुदरूडीह फुटबॉल मैदान से राजनगर जुसलाई पथ (लं0-1.40 कि०मी०) (7) टाटा हाता मुख्य पथ तुरामडीह से बेयांगबील नीलडुंगरी पथ (लं0-0.673 कि०मी०) (8) करनडीह चौक से शीतला चौक (परशुडीह मुख्य पथ) (लं0-1.12 कि०मी०) (कुल लंबाई-14.613 कि०मी०) के 0.600 कि०मी० पथांश को छोड़कर शेष लंबाई-14.013 कि०मी० को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए कुल लम्बाई-14.613 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, Plantation एवं Resettlement/Rehabilitation सहित)" हेतु रू0 99,94,26,700/- (निन्यानवे करोड़ चौरानबे लाख छब्बीस हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के अन्तर्गत 179 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं 45 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला (Physics, Chemistry & Biology) के अधिष्ठापना, एक वर्ष हेतु

Lab Facilitator की सेवा तथा आगामी 05 वर्षों तक अधिष्ठापित होने वाले विज्ञान प्रयोगशालाओं के रख-रखाव (AMC) से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ विभागाधीन अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पुनर्बहाली संबंधी निर्गत संकल्प सं०-2103, दिनांक-30.08.2024 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 सह पठित झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) (संशोधन), 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ Proposed Construction of जिला विधिज्ञ परिषद् (District Bar Council) Building in the 18 already existed Districts of Jharkhand कार्य हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त प्राक्कलित राशि रू० 4,83,83,500/- X 18 = 87,09,03,000/- (सतासी करोड़ नौ लाख तीन हजार रू०) एवं Proposed Construction of जिला विधिज्ञ परिषद् (District Bar Council) Building in the 06 New Districts & 07 Sub Divisions of Jharkhand कार्य हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त प्राक्कलित राशि 50 3,51,97,200/- X 13 = 45,75,63,600/- (पैंतालीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरसठ हजार छः सौ रू०) अर्थात कुल 24 जिलों एवं 07 अनुमंडलों हेतु राशि 87,09,03,000 + 45,75,63,600 = 132,84,66,600/- (एक सौ बत्तीस करोड़ चौरासी लाख छियासठ हजार छः सौ रू०) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली, 2022 सह पठित झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) (संशोधन), नियमावली, 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ बिरसा मुण्डा विमानपत्तन, रांची में राज्य अतिथियों / विशिष्ट महानुभावों को Check-in/ Check-out में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु M/s Aroon Aviation Services Pvt. Ltd., A 113, Rd Number 2 Block B, Mahipalpur Village, Mahipalpur, New Delhi, 110076 को रुपया 32,000 (बत्तीस हजार) मात्र + Tax की मासिक दर पर पोर्टर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु मनोनयन के आधार पर चयन हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के अधीन शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई।

★ पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट (3x800MW) से उत्पादित बिजली को परिसर से निकासी हेतु आधारभूत संचरण संरचनाओं के निर्माण की योजना हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु. 2181.96 करोड़ प्राप्त स्वीकृति के क्रम में नये Row एवं वनापत्ति के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षण की राशि रु० 23,07,34,44,743.65 (वृद्धि 5.94 प्रतिशत अर्थात् राशि रु० 129,48,44,743.65) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई!

★ 220 के०वी० गोविन्दपुर-दुमका संचरण लाईन का 400/220 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन में लिलोसंचरण लाईन योजना के कुल प्राक्कलित राशि रु० 19.88 करोड़ की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में योजना में Quantity Variation के फलस्वरूप प्रथम पुनरीक्षित राशि रु० 30,16,78,917.00 (वृद्धि 51.75 प्रतिशत अर्थात् राशि रू० 10,28,78,917.00) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका-डब्लू० पी० (एस) संख्या-654 ऑफ 2018 में दायर आई० ए० संख्याः 6171/2018 में दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में सम्य विचारोपरान्त तथा विधि विभाग द्वारा प्रदत्त विधिक राय के आलोक में पथ निर्माण विभागीय अधिसूचना संख्याः 348 (s) एवं 356 (s) दिनांक 01.02.2021 के क्रम में दिनांक 08.07.2021 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में कृत अनुशंसानुसार श्री सत्यदेव मोहन घोष, सेवानिवृत सहायक अभियंता एवं श्री श्यामदास सिंह, सेवानिवृ सहायक अभियंता को सेवा अवधि में उनसे कनीय को प्रदत्त प्रोन्नतियाँ के तथानुरूप भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ विनोबाभावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत हजारीबाग जिले के चौपारण में में डिग्री महाविद्यालय, चौपारण के निर्माण कार्य हेतु रू0 37,85,20,000/- (सैतीस करोड़ पचासी लाख बीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या- 04 के मुख्यशीर्ष-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष- 24- मंत्रिमण्डल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) के अन्तर्गत "सेमिनार/समारोह / कार्यशाला' (विपत्र कोड-04-S-2052- 00-090-24-00-03-21) में झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) के माध्यम से राशि रू0 50,00,00,000/- (पचास करोड़) मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

★ आगामी विधान सभा चुनाव, 2024 के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-107-होमगार्ड-05-ग्रामीण विधान सभा चुनाव-03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यवसायिक सेवाएं" के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रू० 48,54,40,000/- (अड़तालीस करोड़ चौबन लाख चालीस हजार रूपये) मात्र राशि के अग्रिम के रूप में स्वीकृति दी गई।

★ आगामी विधान सभा चुनाव, 2024 के सुचारू रूप से संचालन एवं इस दौरान विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष "2055-पुलिस" के अन्तर्गत विभिन्न लघुशीर्ष/उपशीर्ष/ ईकाई के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रू० 128,42,19,000/- (एक सौ अठाईस करोड़ बयालीस लाख उन्नीस हजार रूपये) मात्र राशि के अग्रिम के रूप में स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में माननीय मुख्यमंत्री का मंईयां सम्मान योजना, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम तथा अन्य अवसरों पर जिला एवं मुख्यालय स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए है, जिसके ब्रांडिंग का कार्य विभाग द्वारा कराया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम में एकरूपता को ध्यान में रखते हुए ब्रांडिंग का कार्य विभाग के द्वारा कराया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च स्तर से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न योजानाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने से संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल 80,00,00,000/- (अस्सी करोड़) रूपये मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागाँव अंचल के बादम कोल ब्लॉक मौजा-बादम, गोन्दलपुरा, रूदी, अम्बाजीत, राउत्तापारा एवं फुलाँग पर M/s NTPC Mining Limited को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-1012/2022 के याचिकाकर्ता एवं अनियमित रूप से कार्यरत कारा कर्मी प्रदीप राम उर्फ प्रदीप डोम की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची जिलान्तर्गत 04 नये यातायात थानों, लातेहार जिलान्तर्गत ग्राम बेतर में ओ०पी० सृजन एवं सिमडेगा जिलान्तर्गत सिमडेगा थाना एवं मुफ्फसिल थाना के कार्यक्षेत्र के पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 (संशोधित 2022) में कोटिवार छात्र-छात्राओं की अनुमानित संख्या में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग / झारखण्ड लोक सेवा आयोग झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेसिंया जैसे बैंकिंग / रेलवे भर्ती बोर्ड आदि द्वारा नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु राज्य स्तरीय निःशुल्क कोचिंग संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, राँची अंतर्गत Construction of fly over from Bahubazar to Patel Chowk connecting Siramtoli-Mecon flyover at Patel chowk and Kokar-Yogda Satsang Ashram flyover at Bahu Bazar (length-1.25 km) in Ranchi city in the State of Jharkhand कार्य की निविदा में निविदाकार द्वारा निगोशिएटेड राशि, जो परिमाण विपत्र की राशि से 24 प्रतिशत अधिक है, के निस्तार हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गो० को०) के संकल्प सं0-948 अनु०, दिनांक-16.07.1986 द्वारा एक वर्ष से अधिक कार्यावधि के लिए निविदा निस्तार हेतु दस प्रतिशत की निर्धारित (अधिसीमा) को शिथिल करते हुए उपर्युक्त निविदा के निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति को परिमाण विपत्र की राशि से 18 प्रतिशत अधिक राशि तक निविदा निस्तार की शक्ति विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में पलाश मार्ट का अधिष्ठापन एवं परिचालन हेतु 'पलाश मार्ट' का निर्माण के निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ NABARD-RIDF-Tranche-XXV के तहत 28 जलछाजन परियोजनाओं का दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ साहेबगंज अन्तर्गत "श्रीकुण्ड (RCD पथ) से शिवपहाड़ (RCD पथ) भाया मधुवापाड़ा- अंगलोई-हस्तीपाड़ा-जूहीबोना पथ (कुल लम्बाई 6.675 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R, एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 48,89,86,800/- (अड़तालीस करोड़ नवासी लाख छियासी हजार आठ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ साहेबगंज अन्तर्गत "Widening & Strengthening/Reconstruction of Dulmi Danga (RCD Road) to Shamnagar (RCD Road) via Aasila Jaambad Road (Total Length- 6.520Km) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, Plantation, युटिलिटी सिफ्टिंग एवं R & R सहित)" हेतु रू0 41,49,13,200 /- (एकतालीस करोड़ उनचास लाख तेरह हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ साहेबगंज अन्तर्गत "श्रीकुण्ड (RCD पथ) से बिन्दुपाड़ा (RCD पथ) भाया कौंकजोल पथ (कुल लम्बाई 5.968 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग, RAR, एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 42,78,18,100/- (बेयालीस करोड़ अठहत्तर लाख अठ्ठारह हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "Construction of Giridih Bypass (towards Tundi) road (कुल लंबाई-26.672 कि०मी०) (पुलों के निर्माण, VUP के निर्माण, ROB के निर्माण, भू-अर्जन, Plantation एवं R&R सहित)" हेतु रू0 582,41,56,700/- (पाँच सौ बेरासी करोड़ एकतालीस लाख छप्पन हजार सात सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत "बुधुडीह-पण्डरिया सुजना-कोल्डीह पथ (कुल लंबाई-7.35 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, Plantation, Utility Shifting एवं Resettlement and Rehabilitation सहित)" हेतु रू0 36,08,14,700/- (छत्तीस करोड़ आठ लाख चौदह हजार सात सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत "PWD रानीडीह मोड़-छोटकी खड़गडीहा चौक भाया प्रतापपुर, सुगासागर, बदियाबाग, ओझाडीह पथ (कुल लंबाई-15.997 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, Plantation एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 57,21,87,000/- (संतावन करोड़ एक्कीस लाख सतासी हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, गोड्डा अन्तर्गत "नयानगर-परसा (MDR-203) हनवारा (बिहार बोर्डर तक) पथ (कुल लंबाई-21.10 कि0मी0) के परसा से हनवारा (बिहार बोर्डर तक) पथांश (लंबाई-12.45

कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन कार्य सहित) हेतु रू0 67,93,64,400/- (रूपये सड़सठ करोड़ तिरानबे लाख चौसठ हजार चार सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत "बघरा (गिरिडीह-गाण्डेय-जामताड़ा पथ, MDR-089 पर) से NH-114A भाया खुटाबांध, बलडीह, मेहेदिया पथ (लं0-4.667 कि०मी०), लिंक पथ-1 (दिघिरिया-मधवाडीह, लं0-2.783 कि०मी०), लिंक पथ-2 (किट रोड से न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन, लं0-0.407 कि०मी०), लिंक पथ-3 (मेडिया से न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन चौक, लं0-1.424 कि०मी०) (समेकित कुल लंबाई 9.281 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं Plantation सहित)" हेतु रू0 43,88,09,800/- (तैंतालीस करोड़ अठासी लाख नौ हजार आठ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 39,09,21,000/- (उनचालीस करोड़ नौ लाख एक्कीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत देवघर जिले के मारगोमुण्डा में डिग्री महाविद्यालय, मारगोमुण्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 33.10.47,000/- (तेतीस करोड़ दस लाख सैतालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत गिरिडीह जिले के तिसरी में डिग्री महाविद्यालय, तिसरी के निर्माण कार्य हेतु रू0 38,34,51,000/- (अड़तीस करोड़ चौतीस लाख एकावन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत जामताड़ा जिले के नारायणपुर में में डिग्री महाविद्यालय, नारायणपुर के निर्माण कार्य हेतु रू0 38.94,28,000/- (अड़तीस करोड़ चौरानवे लाख अठ्ठाईस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत हजारीबाग जिले के बड़कागोंद विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, बड़कागांव के निर्माण कार्य हेतु रू० 33,85,10,300/- (तैतीस करोड़ पचासी लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

###==============TeamPRD(CMO)